

अतियंत, पिछड़ा बर्ग, छात्र संघ और अन्य

बनाम

झारखंड राज्य वैश्य फेडरेशन और अन्य।

अगस्त 8, 2006

[डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन और लोकेश्वर सिंह पंता, जे.जे.]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14- सरकारी सेवाओं और व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं में नियुक्तियों के लिए अत्यंत पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों को पृथक आरक्षण प्रदान करने वाली राज्य अधिसूचनाएं- दोनों वर्गों को एक वर्ग में समाहित करते हुए और समेकित आरक्षण प्रदान करते हुए जारी संशोधित अधिसूचना- उच्च न्यायालय ने संशोधित अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखा- की शुद्धता- पारित, तथ्यों के आधार पर, राज्य ने दो वर्गों को समामेलित करने का नीतिगत निर्णय लेने से पहले एक अनुभवजन्य अध्ययन नहीं किया- इसलिए समामेलन मनमाना है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है- इस प्रयोजन के लिए विस्तृत अध्ययन हेतु समिति गठित करने के लिए राज्य को निदेश देना।

झारखंड राज्य ने एक अधिसूचना द्वारा बिहार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग) आरक्षण अधिनियम, 1992 को कतिपय संशोधनों के साथ अपनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए 73% आरक्षण प्रदान किया है। एक अन्य अधिसूचना द्वारा, राज्य ने व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को भी आरक्षण का समान प्रतिशत उपलब्ध कराया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग क्रमशः 18% और 9% आरक्षण के हकदार थे। आरक्षण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कुछ निर्देशों के साथ आरक्षण के प्रतिशत को 50% तक सीमित करने का अंतरिम आदेश पारित किया। तदनुसार, राज्य ने आरक्षण को घटाकर 50% करने के लिए एक संशोधित अधिसूचना जारी की। राज्य ने संशोधित अधिसूचना में, दो

श्रेणियों-अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग-को 'अन्य पिछड़ा श्रेणी' के रूप में एक श्रेणी में मिला दिया और 14% का समेकित आरक्षण प्रदान किया।

अपीलकर्ताओं ने संशोधित अधिसूचना को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने संशोधित अधिसूचना को रद्द कर दिया और कहा कि राज्य अंतरिम व्यवस्था के उद्देश्य से दो श्रेणियों को एक साथ नहीं जोड़ सकता है। उच्च न्यायालय ने अंतर न्यायालय अपील की अनुमति दी। राज्य द्वारा अपील की गई और संशोधित अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखा गया।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा दो वर्गों का समामेलन दिमाग के आवेदन के बिना और समामेलन को सही ठहराने वाले अध्ययन, डेटा और सामग्री के बिना किया गया था; कि समामेलन भेदभाव के दोष से ग्रस्त है क्योंकि दो असमान लोगों को समान माना गया है और दो अलग-अलग वर्गों के लोगों को समान माना गया है; कि अधिसूचना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के अंतरिम आदेश के अनुसार पारित नहीं की गई थी।

राज्य ने तर्क दिया कि संशोधित अधिसूचना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के निर्देशों के अनुसार पारित की गई थी; कि दोनों वर्गों का समामेलन सावधानीपूर्वक दिमाग लगाने और राज्य सरकार के सर्वोच्च नीति बनाने वाले निकाय द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद किया गया था; और यह कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को एक ब्लॉक के रूप में आवंटित करने की नई नीति भी केंद्र सरकार की नीति के समान और संगत है।

अपील की अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने

आयोजित किया: 1.1 उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अंतरिम उद्देश्य के लिए आरक्षण के प्रतिशत को 73% से घटाकर 50% करने के लिए सरकार को सीमित स्वतंत्रता दी थी और श्रेणियों के समामेलन के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया था। दो अलग-अलग वर्गों के समामेलन को समान रूप से माना जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के जनादेश का उल्लंघन है जो "समान रूप से व्यवहार करना और अलग-अलग व्यवहार करना" है। यह सुस्थापित है कि असमान के साथ समान व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। [327-डी-ई]

अतियंत, पिछड़ा बर्ग, छात्र संघ और अन्य बनाम झारखंड राज्य वैश्य फेडरेशन और अन्य

1.2. राज्य इस बयान को छोड़कर कोई नई परिस्थिति दिखाने में विफल रहा है कि ऐसा सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय अर्थात् मंत्रिपरिषद द्वारा सावधानीपूर्वक दिमाग लगाने और उचित विचार-विमर्श के बाद किया गया था। ऐसी कोई सामग्री अथवा अनुभवजन्य आंकड़े नहीं हैं जिनसे यह पता चलता हो कि परिस्थितियों में परिवर्तन किया गया है और राज्य ने कोई अध्ययन, अनुसंधान अथवा कार्य नहीं किया है। ऐसी परिस्थितियों में केवल यह सुझाव देना कि मंत्रिपरिषद ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था और एक निर्णय पर पहुंच गई थी, मनमाना और अनुचित है। [327-एफ जी]

1.3 राज्य अपने कार्यों से उन समुदायों को अशक्त करना चाहता है जिन्हें बिहार अधिनियम को सचेत रूप से अपनाने के बाद आरक्षण का लाभ दिया गया है। संशोधित अधिसूचना अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को एक समूह में मिलाकर असमान के साथ समान व्यवहार करना चाहती है, इस प्रकार वास्तविक समानता की धारणा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए इसे न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाना है। [327-जी एच; 328-ए]

1.4. पिछड़े वर्ग और सर्वाधिक पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल समुदायों को बिहार विधान को सचेतन रूप से अपनाने और राज्य द्वारा श्रेणीबद्ध किए जाने के बाद आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। यह कहना कि दो वर्षों में उनकी परिस्थितियों में पूर्ण परिवर्तन आया है ताकि उन्हें पिछड़ी जाति आयोग या विशेष आयोग, जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया है, के संदर्भ के बिना उन्हें उनके विशेष दर्जे से बाहर रखा जाए, *मण्डल आयोग* के मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन होगा। [329-एच; 330-ए-बी]

1.5. राज्य का यह तर्क कि केंद्र सरकार अत्यंत पिछड़े वर्गों को साथ जोड़ने की नीति का पालन कर रही है, राज्य द्वारा उसी नीति का पालन करने का औचित्य नहीं है। राज्य को एक विशेषज्ञ आयोग या एक निकाय नियुक्त करके तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जैसा कि *मण्डल आयोग* के मामले में प्रदान किया गया है जो अंडर-इनक्लूजन और ओवर-इनक्लूजन पर किए गए अभ्यावेदन/शिकायतों की जांच कर सकता है और बाध्यकारी सिफारिशें कर सकता है। राज्य ने अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रदान नहीं की जो लोगों के दो वर्गों के विलय को उचित ठहराती और न ही परिस्थितियों में बदलाव

दिखाने के लिए कोई दस्तावेज, प्रासंगिक सामग्री या कोई अभिलेख पेश की गई जैसा कि राज्य द्वारा आरोप लगाया गया था। दो वर्गों को समामेलित करने का निर्णय लेने से पहले, प्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया था। जब श्रेणियों का समामेलन हुआ, तो कोई सामग्री या अनुभवजन्य डेटा नहीं था जो इंगित करता है कि परिस्थितियों को प्रभाव के लिए केवल गंजे बयान के अलावा बदल दिया गया था। यह स्थापित कानून है कि नीतिगत मामलों को भी मनमानेपन की कसौटी पर परखा जाना चाहिए और वर्तमान नीति भेदभावपूर्ण और मनमानी है। पूर्ण पीठ ने राज्य सरकार को केवल आरक्षण के प्रतिशत को कम करने की स्वतंत्रता दी थी, न कि उन श्रेणियों जी या वर्गों को जिन्हें आरक्षण दिया जा सकता था। [330-सी एच; 331-ए]

*श्रीमती इन्दिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1992) पूरक 3 धारा 21, संदर्भित।*

1.6. राज्य को इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञों की एक विशेष समिति द्वारा या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या निकाय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ आयोग नियुक्त करके गहन अध्ययन और अनुसंधान करने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि मण्डल आयोग के मामले में प्रदान किया गया है, ताकि अंडर-समावेशन और ओवर-समावेशन पर की गई सिफारिशों/शिकायतों की जांच की जा सके और बाध्यकारी सिफारिशों की जा सकें। [331-बी-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की सिविल अपील संख्या 3430

2003 के एलपीए संख्या 176 में झारखंड, रांची में उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 16.8.2003 से

सी.पी.वी.राजीव धवन, लक्ष्मी रमण सिंह, विवेक सिंह और चंद्र डी प्रकाश अपीलकर्ताओं के लिए।

अनिल के झा, गोपाल प्रसाद और अमित कुमार उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय डा ए आर लक्ष्मणन, जे द्वारा दिया गया था।

अतियंत, पिछड़ा वर्ग, छात्र संघ और अन्य बनाम झारखंड राज्य वैश्य फेडरेशन और अन्य

उपर्युक्त अपील 2003 के एलपीए संख्या 176 में पारित झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की खंडपीठ के दिनांक 16.8.2003 के आक्षेपित सामान्य अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त अपील की अनुमति दी थी। झारखंड राज्य वैश्य फेडरेशन ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 3.3.2003 के सामान्य निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया और इस प्रकार राज्य सरकार के संकल्प संख्या 5800 दिनांक 10.10.2002 की वैधता को बरकरार रखा और इस प्रकार दो वर्गों यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को मिलाकर आरक्षण को क्रमशः 12% और 9% से घटाकर केवल 14% करने के राज्य सरकार के निर्णय की पुष्टि व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के उद्देश्य से की।

यह अपील झारखंड राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। झारखंड राज्य ने 3.10.2001 को जारी 2001 की अधिसूचना संख्या 3465 के तहत कुछ संशोधनों के साथ बिहार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग) आरक्षण अधिनियम (1992 का बिहार अधिनियम संख्या 3) को अपनाते हुए सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए 73% आरक्षण दिया था। इसी प्रकार 5.11.2001 को जारी 2001 की अधिसूचना संख्या 3884 के माध्यम से, चार विशिष्ट श्रेणियां थीं जो पेशेवर/तकनीकी कॉलेजों में आरक्षण के हकदार थे।

अनुसूचित जाति	14%
अनुसूचित जनजाति	32%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18%
पिछड़ा वर्ग	09%
कुल	73%

73% तक आरक्षण की प्रक्रिया को झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह कई रिट याचिकाओं में संविधान के *अधिकारातीत* था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह की याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित थी (वॉयस बनाम तमिलनाडु राज्य एसएलपी (सी) 1993 की संख्या 13526), उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया। लेकिन एक अंतरिम उपाय के रूप में उच्च न्यायालय ने दिनांक 22-8-2002 को आरक्षण को घटाकर 50% कर दिया और विशिष्ट निदेशों के साथ यह निर्देश दिया कि सरकारी सेवा में सामान्य श्रेणी में की गई कोई भी नियुक्ति इस न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीन होगी और यह भी निदेश दिया कि शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण पर भी समान आरक्षण यथोपरितों के साथ लागू होगा। न्यायालय ने 30.9.2002 को इस आदेश को स्पष्ट किया जो निम्नानुसार पढ़ता है:

"इस प्रकार उक्त 50% श्रेणियों में की जाने वाली नियुक्तियां (जैसा कि अब तदनुसार 73% से घटाकर 50% कर दिया जाएगा), आनुपातिक आधार पर होगी, उचित संदर्भ और सम्मान के साथ श्रेणियों के प्रतिशत के रूप में मूल आक्षेपित 73% के योग-कुल का गठन किया गया था।"

तदनुसार, झारखंड राज्य ने 10.10.2002 को 2002 की अधिसूचना संख्या 5800 जारी की, जिसमें 5.1.2001 की पूर्व अधिसूचना को हटा दिया गया, जिसके तहत उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप कोटा घटाकर 50% कर दिया गया था।

सरकार द्वारा 2002 की अधिसूचना संख्या 5800 दिनांक 1 0.10.2002 के माध्यम से दो वर्गों अर्थात् पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को समामेलित करने की इस कार्रवाई को अपीलकर्ताओं द्वारा 2002 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 6220, 6332 और 6545 के माध्यम से झारखंड के उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिसूचना को रद्द कर दिया। राज्य द्वारा अपील किए जाने पर खंडपीठ ने अपील की अनुमति दे दी।

अतियंत, पिछड़ा वर्ग, छात्र संघ और अन्य बनाम झारखंड राज्य वैश्य फेडरेशन और अन्य

73% आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं (डब्ल्यू.पी.संख्या 3696/2002, 4706/2001, 4637/2001 आदि) के जवाब में उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश के माध्यम से नियुक्तियों के मामले में यह अधिदेशित किया है कि आरक्षण केवल 50% तक सीमित होना चाहिए और यह कमी आक्षेपित आदेश की कुल राशि के रूप में गठित श्रेणियों के प्रतिशत के उचित संदर्भ और संबंध के साथ आनुपातिक आधार पर की जानी चाहिए। यह भी नोट किया गया कि अवलोकन उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन परिवर्तन प्रवेश प्रक्रिया पर लागू होंगे। पूर्ण पीठ (पांच न्यायाधीशों) के इस आदेश को अनुबंध पी -2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

झारखंड राज्य के कहने पर उक्त आदेश के स्पष्टीकरण की मांग करने वाली एक याचिका पर, उच्च न्यायालय ने संशोधन किए, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राज्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग और श्रेणी के साथ उचित प्रतिशत कोटा तय करने के लिए खुला होगा, जैसा कि वह निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सकता है, कुल 50% (अनुबंध पी -3)। ज्ञापन संख्या 5 - आरक्षण-03/2001-5800/रांची में निहित संकल्प राज्य सरकार द्वारा 5.11.2001 की पूर्व अधिसूचना को विषय वस्तु करते हुए जारी किया गया था, जिसके तहत उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कोटा घटाकर 50% कर दिया गया था। लेकिन कोटा अब निम्नलिखित तरीके से पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों की श्रेणियों को मिलाकर तय किया गया था:

अनुसूचित जाति	10%
अनुसूचित जनजाति	26%
अन्य पिछड़ा वर्ग -	50%
कुल	14%

2002 की रिट याचिका संख्या 6220 यहां रांची में झारखंड उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मेमो संख्या 5800/2002 में निहित सरकार के संकल्प की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के आदेश के

संदर्भ में कोटा तय नहीं किया गया था, लेकिन पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटा को मिला दिया गया था और समेकित आरक्षण प्रदान किया गया था।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 3.3.2003 द्वारा रिट याचिकाओं की अनुमति दी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मूल संकल्प संख्या 3884/रांची दिनांक 5.11.2001 अभी भी अस्तित्व में है, जहां तक यह "आरक्षित श्रेणियों" से संबंधित है, प्रतिवादी अंतरिम व्यवस्था के उद्देश्य से अत्यंत पिछड़ा श्रेणी और पिछड़ा श्रेणी को साथ नहीं जोड़ सकते हैं। नतीजतन, उन्होंने संकल्प संख्या 5800/रांची दिनांक 1.10.2002 को इस हद तक रद्द कर दिया कि इसने अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को एक साथ जोड़ दिया। मामला संघ को भेज दिया गया था अंतरिम व्यवस्था के प्रयोजन के लिए और व्यावसायिक/तकनीकी और समकक्ष प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए अत्यंत क पिछड़ा श्रेणी और पिछड़ा श्रेणी का प्रतिशत क्या होगा, यह अलग से निर्धारित करने के लिए राज्य को नियुक्त किया गया है। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि पहले के अवसर पर उच्च न्यायालय ने केवल आरक्षण के प्रतिशत को कम किया था और इसने राज्य को एक या अन्य श्रेणी को एक साथ जोड़ने या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पक्ष में दिए गए आरक्षण में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी थी।

व्यथित होकर राज्य सरकार ने 2003 का एल.पी.ए. संख्या 237 दायर किया और इंटरवेनर-झारखंड राज्य वैश्य फेडरेशन ने 2003 का एलपीए नंबर 176 दायर किया, जिसमें क्रमशः 2002 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 6332 और 6220 में विद्वान एकल न्यायाधीश के सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ अदालत की अनुमति थी। हालांकि, 2003 की रिट याचिका (सी) संख्या 6545 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय और आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी और उक्त निर्णय और आदेश को अंतिम होने दिया गया था।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने अंतिम निर्णय और आदेश द्वारा अपीलों की अनुमति दी और विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया और इस प्रकार राज्य सरकार के संकल्प संख्या 5800 दिनांक 10.10.2002 और दो वर्गों को समामेलित करने के राज्य सरकार के निर्णय की पुष्टि की। इस प्रकार दो वर्गों यानी अत्यंत



अतियंत, पिछड़ा वर्ग, छात्र संघ और अन्य बनाम झारखंड राज्य वैश्य फेडरेशन और अन्य

पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को समाहित आरक्षण के प्रतिशत को क्रमशः 18% और 9% से घटाकर केवल 14% किया।

खंड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भले ही, किसी विशेष श्रेणी के उप-वर्गीकरण में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, न्यायालय यह निर्देश नहीं दे सकता है कि राज्य को आरक्षित श्रेणी का उप-वर्गीकरण बनाना चाहिए, यह वास्तव में नीति का मामला था। यह भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूर्ण पीठ के पहले के आदेश को अनुपात में बदलाव तक सीमित नहीं समझा जा सकता है, न कि श्रेणी या इसे दो श्रेणियों को एक सामान्य श्रेणी में एक साथ लाने से रोकने के रूप में। यह आगे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सरकार द्वारा पारित संकल्प संख्या 5800 दिनांक 10.10.2002 को या तो इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि यह आम तौर पर सरकार की शक्ति से परे है या इस आधार पर कि यह संशोधित पूर्ण पीठ के अंतरिम आदेश की शर्तों के खिलाफ है। उपर्युक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, इसने अत्यंत पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का प्रतिशत अलग-अलग निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को मामले को भेजने के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश को भी रद्द कर दिया।

उक्त आदेश से व्यथित, उपरोक्त अपील विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से दायर की गई है।

हमने डॉ. राजीव धवन विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना, श्री लक्ष्मी रमन सिंह द्वारा सहायता प्रदान करते थे। विद्वान वकील अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए। और विद्वान वकील श्री अनिल के झा उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित हुए।

हमने अपने सामने रखे गए कागजातों, अभिलेख और दस्तावेजों का अध्ययन किया है, जिसमें इस अपील में आक्षेपित आदेश और उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश भी शामिल है। अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन ने प्रस्तुत किया कि सरकार प्रासंगिक सामग्रियों के विभिन्न सेटों के आधार पर दो वर्गों यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के समामेलन का आदेश देने और समामेलन को सही ठहराने के लिए किसी भी अध्ययन, डेटा और सामग्री के बिना समामेलन का आदेश देने में न्यायसंगत नहीं थी और इसलिए, संगत तथ्यों और सामग्रियों पर विचार न किए जाने

तथा असंगत सामग्रियों पर विचार न किए जाने के कारण सरकार का निर्णय निष्फल है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दो वर्गों को मिलाने का राज्य सरकार का निर्णय भेदभाव के दोष से ग्रस्त है क्योंकि दो असमान लोगों को समान माना गया है और इस प्रकार दो अलग-अलग वर्गों के लोगों को समान माना गया है।

हमारा ध्यान झारखंड राज्य द्वारा पारित 2002 की अधिसूचना संख्या 5800 दिनांक 1 0.10.2002 की ओर आकर्षित किया गया था, जो विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के आदेश दिनांक 22.8.2002 के आदेश के संदर्भ में नहीं था, जिसे 30.9.2002 के स्पष्टीकरण आदेश के साथ पढ़ा गया था जो पूर्ण पीठ के समक्ष रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान पारित किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया था कि खंड पीठ को यह ध्यान देना चाहिए था कि राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद, झारखंड राज्य ने विशेष रूप से बिहार अधिनियम को अपनाया था और चार श्रेणियों को 73% आरक्षण देने वाली अधिसूचनाएं भी जारी की थीं, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों के एक साल के अंतराल में, राज्य ने बिना दिमाग लगाए और बिना ध्यान दिए अत्यंत पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों की श्रेणियों को एक में समाहित करते हुए अधिसूचना जारी की थी उन सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखें जिनका इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हमारा ध्यान *मण्डल आयोग, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ* [1992] पूरक 3 धारा 217 के मामले में हमारा ध्यान उक्त निर्णय के कुछ अंशों की ओर आकर्षित किया गया था।

प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अनिल के. झा ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने निर्दिष्ट पेशेवर और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के विस्तार के संबंध में पहले के संकल्प संख्या 3884 दिनांक 5.11.2001 को हटा दिया और एक नया संकल्प संख्या 5800 जारी किया। सरकार ने अपने स्थान पर दिनांक 10-1-2002 के पत्र संख्या के माध्यम से उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसे लागू किया है। आगे यह तर्क दिया गया था कि पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कोई अलग प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया था और यह सरकार के सर्वोच्च नीति बनाने वाले निकाय यानी मंत्रिपरिषद द्वारा सावधानीपूर्वक दिमाग और उचित विचार-विमर्श के बाद किया गया था और यह निर्णय इस तथ्य को ध्यान

में रखते हुए लिया गया था कि अत्यंत पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों के बीच अन्य पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण अविभाजित द्वारा किया गया था। झारखंड राज्य के संदर्भ में इसे पूर्णतया प्रासंगिक नहीं पाया गया था। यह तर्क दिया गया था कि अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को एक ब्लॉक के रूप में आवंटित करने की राज्य सरकार की यह नई नीति भी इस संबंध में केंद्र सरकार की नीति के समान और सुसंगत है।

हमने दोनों पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अपना विचारशील विचार किया है।

हमारी राय में, खंडपीठ ने इस बात की सराहना नहीं की कि पूर्ण खंडपीठ ने अंतरिम उद्देश्य के लिए आरक्षण के प्रतिशत को 73% से घटाकर 50% करने के लिए सरकार को सीमित स्वतंत्रता दी थी और श्रेणियों के समामेलन के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया था। हमारी राय में, आरक्षण के लिए दो वर्गों के लोगों का समामेलन अनुचित होगा क्योंकि दो अलग-अलग वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के जनादेश का उल्लंघन है, जो "समान रूप से व्यवहार करना और अलग-अलग व्यवहार करना" है। यह सुस्थापित है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना भी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

राज्य कोई नई परिस्थिति दिखाने में विफल रहा है, सिवाय एक गंजे बयान के कि ऐसा सावधानीपूर्वक दिमाग लगाने और उच्चतम नीति बनाने वाले निकाय अर्थात् मंत्रिपरिषद द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद किया गया था। ऐसी कोई सामग्री अथवा अनुभवजन्य आंकड़े नहीं हैं जिनसे यह पता चलता हो कि परिस्थितियों में परिवर्तन किया गया है और राज्य ने कोई अध्ययन, अनुसंधान अथवा कार्य नहीं किया है। ऐसी परिस्थितियों में केवल यह सुझाव देना कि मंत्रिपरिषद ने अपना दिमाग लगाया था और एक निर्णय पर पहुंच गई थी, मनमाना और अनुचित है।

मण्डल आयोग के निर्णय (सुप्रा) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के लिए कोई संवैधानिक रोक नहीं है। झारखंड राज्य अपने कार्यों से उन समुदायों को शक्तिहीन करना चाहता है जिन्हें बिहार अधिनियम को सचेतन रूप से अपनाने के बाद आरक्षण का लाभ

दिया गया है। जी ओ 5800 क्या करना चाहता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग को एक समूह में मिलाकर असमान के साथ समान व्यवहार करना है, इस प्रकार वास्तविक समानता की धारणा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए इसे न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाना है।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जबकि बिहार अधिनियम केवल सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए लागू होता है, इसे न्यायालय के दिनांक 22.8.2002 के आदेश के संचालन द्वारा राज्य में शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विस्तारित किया गया था, जिसने शैक्षिक संस्थानों को रोजगार में आरक्षण के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ आवेदन करने में सक्षम बनाया था।

*मण्डल आयोग* के मामले में कहा गया है कि सूची में वर्गों को शामिल या बाहर करते समय राज्य सरकार की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है। *मण्डल आयोग* के फैसले के अनुच्छेद 229 और 422 में ध्यान दें कि सूची में शामिल किए गए समुदाय को केवल तभी बाहर निकाला जा सकता है जब राज्य इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हो कि राज्य की सेवाओं में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। *मण्डल आयोग* के अनुच्छेद 229 और 422 के निर्णय निम्नानुसार हैं:

"229 ..... इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है, वास्तव में ऐसा कोई नहीं है कि जो सरकार निश्चित रूप से अपने प्रशासन के मानकों को बनाए रखने में रुचि रखती है, वह अपनी किसी भी योजना या नीतियों की समीक्षा करके संवैधानिक ढांचे के भीतर सामान्य नियामक उपायों को अपनाने के लिए अपने संप्रभु अधिकार रखती है और उसे बरकरार रखती है। जिस अवधि में समीक्षा की जानी है, उसका अंतराल सरकार के प्राधिकार और विवेक के भीतर है, लेकिन निश्चित रूप से संवैधानिक मानदंडों और न्यायिक समीक्षा के सुस्थापित सिद्धांतों के अधीन है। इसलिए, यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह किसी भी समय सूचियों की समीक्षा करे और किसी छद्म समुदाय या पिछड़े वर्ग में तस्करी की गई जाति को बाहर रखने या सरकार की राय में सामाजिक पिछड़ेपन से ग्रस्त किसी अन्य समुदाय को शामिल करने का निर्णय ले।

अतियंत, पिछड़ा वर्ग, छात्र संघ और अन्य बनाम झारखंड राज्य वैश्य फेडरेशन और अन्य

"422. संविधान के तहत, पिछड़े वर्गों के पक्ष में रोजगार में आरक्षण या तो अंधाधुंध या स्थायी होने का इरादा नहीं है। अनुच्छेद 16 (4) जो आरक्षण प्रदान करता है, साथ ही उनकी सीमाओं और शर्तों को भी निर्धारित करता है। सर्वप्रथम, आरक्षण प्रत्येक पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नहीं रखा जाना चाहिए। यह केवल नागरिकों का वह पिछड़ा वर्ग है, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में "पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है", जो आरक्षण के लाभ का हकदार है। - दूसरी बात, और यह पहले से इस प्रकार है, यहां तक कि पिछड़े वर्ग के नागरिक आरक्षण नीति के लाभार्थी नहीं रहेंगे, जिस क्षण राज्य इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सेवाओं में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

इसके अलावा, *मण्डल आयोग* के मामले में पिछड़े आयोग की स्थापना के महत्व पर ध्यान दिया गया। इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 847 में निम्नानुसार देखा गया था:

"हमारा मानना है कि आयोग या न्यायाधिकरण की प्रकृति का एक स्थायी निकाय होना चाहिए जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में समूहों, वर्गों और वर्गों को गलत तरीके से शामिल करने या शामिल नहीं करने की शिकायतों की जा सकें। ऐसे निकाय को उक्त प्रकृति की शिकायतों की जांच करने और उचित आदेश पारित करने का अधिकार होना चाहिए। इसकी सलाह/राय सामान्यतः सरकार के लिए बाध्यकारी होनी चाहिए। तथापि, जहां सरकार इसकी सिफारिश से सहमत नहीं है, वहां उसे अवश्य ही इसके कारणों को दर्ज करना चाहिए। यहां तक कि अगर किसी नए वर्ग / समूह को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करने का प्रस्ताव है, तो ऐसे मामले को भी पहले उक्त निकाय को भेजा जाना चाहिए और इसकी सिफारिश के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। निकाय को आधिकारिक और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र के विशेषज्ञों से बना होना चाहिए और उचित और प्रभावी जांच करने के लिए आवश्यक शक्तियों के साथ निहित होना चाहिए। यह समान रूप से वांछनीय है कि प्रत्येक राज्य एक ऐसे निकाय का गठन करे, जो वास्तविक शिकायतों

के निवारण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। ऐसा निकाय अनुच्छेद 16 के खंड (4) के अधीन या अनुच्छेद 340 के साथ पठित अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़े वर्ग के नागरिकों की पहचान करने और विनिदष्ट करने की शक्ति के सहवर्ती के रूप में सृजित किया जा सकता है, जिसके पक्ष में आरक्षण प्रदान किया जाना है। हम निदेश देते हैं कि आज से चार महीने के भीतर केन्द्रीय स्तर और राज्यों दोनों के स्तर पर ऐसे निकाय का गठन किया जाए। उन्हें तुरंत चालू हो जाना चाहिए और प्राप्त शिकायतों और उपरोक्त प्रकृति के मामलों, यदि कोई हो, पर तुरंत विचार करने और जांच करने की स्थिति में होना चाहिए। भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वे ऐसे निकाय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करें। इस प्रकार सृजित निकाय अथवा निकायों से भी ओबीसी की सूचियों के आवधिक संशोधन के मामले में परामर्श किया जा सकता है। जैसा कि चंद्रचूड़, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सुझाया गया है। *वसंत कुमार* के मामले में, इन सूचियों में समय-समय पर संशोधन किया जाना चाहिए ताकि पिछड़े हुए लोगों को बाहर रखा जा सके या नए वर्गों को शामिल किया जा सके, जैसा भी मामला हो।

पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल समुदाय बिहार विधान को सजग रूप से अपनाए जाने और झारखंड राज्य द्वारा श्रेणीकरण किए जाने के बाद आरक्षण का लाभ अत्यंत पिछड़े वर्गों को मिलता रहा है। यह कहना कि दो वर्षों में उनकी परिस्थितियों में पूर्ण परिवर्तन आया है ताकि उन्हें पिछड़ी जाति आयोग या विशेष आयोग, जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया है, के संदर्भ के बिना उन्हें उनके विशेष दर्जे से बाहर रखा जाए, *मण्डल आयोग* के मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन होगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने *मुस्लिम आरक्षण* के मामले *टी. मुरलीधर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* डब्ल्यू.पी.एमपी संख्या 15546/2004 की डब्ल्यूपी संख्या 12239/2004 के मामले में ऐसा ही रुख अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि आयोग के साथ परामर्श एक अनिवार्य आवश्यकता है।

अतियंत, पिछड़ा वर्ग, छात्र संघ और अन्य बनाम झारखंड राज्य वैश्य फेडरेशन और अन्य

उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि केंद्र सरकार अत्यंत पिछड़े वर्गों को पिछड़े वर्गों के साथ जोड़ने की नीति का पालन कर रही है। हमारी राय में, यह झारखंड को उसी नीति का पालन करने के लिए उचित नहीं ठहराता है। झारखंड सरकार *मण्डल आयोग* में किए गए प्रावधान के अनुसार एक्सपर्ट कमीशन अथवा निकाय की नियुक्ति करके उन तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करेगी जो इसके लिए विशिष्ट हैं। अखिल भारतीय रिजर्व बैंक (एनसीसी) का वह मामला जो अल्प समावेशन और अधिक समावेशन के संबंध में किए गए अभ्यावेदनों/शिकायतों की जांच कर सकता है और बाध्यकारी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने ठीक ही कहा है, खंड पीठ इस बात पर ध्यान देने में विफल रही कि सरकार ने अभिलेख पर कोई भी सामग्री प्रदान नहीं की जो लोगों के दो वर्गों के विलय को उचित ठहराती और न ही कोई दस्तावेज, प्रासंगिक सामग्री या परिस्थितियों में बदलाव दिखाने के लिए कोई रिपोर्ट पेश की गई जैसा कि सरकार द्वारा आरोप लगाया गया था। दो वर्गों को समामेलित करने का निर्णय लेने से पहले, प्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया था। वास्तव में, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट आरक्षण उक्त उद्देश्य के लिए गठित श्री मुंगेरी लाल की अध्यक्षता वाले बैकवर्ड कमीशन की सिफारिश पर प्रदान किया गया था। उक्त समिति ने पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए पृथक आरक्षण की सिफारिश करने से पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थिति तथा पृथक आरक्षण की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा था। यह सिफारिश विस्तृत सर्वेक्षण के बाद की गई है। दूसरी ओर, जब श्रेणियों का समामेलन हुआ, तो यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री या अनुभवजन्य डेटा नहीं था कि परिस्थितियों को प्रभाव के लिए केवल गंजे बयान के अलावा बदल दिया गया था। यह स्थापित कानून है कि नीतिगत मामलों को भी मनमानेपन की कसौटी पर परखा जाना चाहिए और वर्तमान नीति भेदभावपूर्ण और मनमानी है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, झारखंड राज्य ने विशेष रूप से बिहार अधिनियम को अपनाया है और चार श्रेणियों को 73% आरक्षण देते हुए एच अधिसूचनाएं भी जारी की हैं। इसके अतिरिक्त पूर्ण राज्य सरकार को केवल आरक्षण के प्रतिशत को कम करने की स्वतंत्रता दी थी न कि उन श्रेणियों अथवा वर्गों को जिन्हें आरक्षण दिया जा सकता था।

उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि 2003 के एलपीए संख्या 176 में खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 16.8.2003 के आदेश को अलग रखा जाता है और इस मामले को राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञों की एक विशेष समिति द्वारा गहन अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या निकाय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ आयोग नियुक्त करके भेजा जाता है जैसा कि *मण्डल आयोग* में प्रदान किया गया है। अल्प समावेशन और अधिक समावेशन के संबंध में की गई सिफारिशों/शिकायतों की जांच करने और बाध्यकारी सिफारिशें करने के लिए राज्य सरकार को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर एक निकाय के विशेषज्ञ आयोग का गठन करने का निर्देश दिया जाता है।

परिणाम में, अपील की अनुमति दी जाती है और 2003 के एलपीए संख्या 176 में पारित दिनांक 16.8.2003 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.एस.

अपील की अनुमति दी।

**यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।**